(02 दुकान एवं कैन्टीन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना)

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर में छात्रों/मरीजो एवं अन्य के लिए निर्मित 02 दुकान एवं कैन्टीन संचालन करने हेतु व्यक्तिगत/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि से महाविद्यालय के नियम एवं शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क.	निविदा	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
1	**02 दुकान एवं कैन्टीन**	27/01/2025	28/01/2025	30/01/2025 दोपहर 02:00 बजे

निविदा प्रपत्रमहाविद्यालय की बेवसाईट **www.gac.edu.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की कीमत **1000/** रू. (डी.डी. के रूप में प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के नाम देय होगा) भुगतान करना आवश्यक होगा अथवा निविदा प्रपत्र महाविद्यालय से कार्यालयीन समय में नगद **1000/–** राशि जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। दुकान निविदा अमानत राशि **50.00 हजार** एवं कैन्टीन निविदा अमानत राशि रूपये 1,00,000/– (डी.डी.के रूप में प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के नाम देय होगा) निविदा के साथ जमा करना होगा। अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय के पते में सम्पर्क किया जा सकता है।

नोटः– निविदाकार निविदा के पूर्व प्रस्तावित दुकान का निरीक्षण कर सकते हैं।

9/1/25

(डॉ. एल.एल.अहिरवाल)
प्र.प्रधानाचार्य
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर (म.प्र.)

1

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
गीताधाम रोड, ग्वारीघाट जबलपुर 482008 (म.प्र.)

Email: pri.ayurvedajbp@gmail.com,
ayur.clgjabalpur.mp@mp.gov.in

Office - 0761-2970733

प्रति,

प्रधानाचार्य महोदय,

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय

एवं चिकित्सालय जबलपुर म.प्र.

विषयः— दुकान कमांक..........के संचालन हेतु दिनांक / /2024 को समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा अनुसार आवेदन।

मैं..पिता का नाम...उम्र........

फर्म का नाम एवं पता..

जी.एस.टी. कमांक...आयकर हेतु पेन नंबर..है।

इस आवेदन के साथ प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर म.प्र. के पक्ष में बैंकर्स डी.डी. कमांक..................................दिनांक................ बैंक (जारी बैंक का नाम)...राशि रूपये..................................प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

भाग–1

प्रपत्र

निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा (तकनीकी प्रस्ताव)

निविदादाता द्वारा भरा जावेगा।

1– निविदाकार का नाम एवं पताः– ....

....

....

2– निविदाकार/संस्था/सोसायटीः– ....
(संगठन/साझेदारी की संख्या)

3– अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें :– ....

4– विगत 03 वर्षो का टर्नओवर प्रमाण पत्रः– ....

5– विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्नः– ....

6– पैन नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें):– ....

7– जीएसटी नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें):– ....

8– आधार कार्डः– ....

9– भारतीय खाद्य निगम FSSI का लाइसेंसः– ....

10– धरोहर राशि का विवरण (प्रधानाचार्य शास. आयुर्वेद महा. जबलपुरके नाम देवें)

बैंक ड्राफटः– ....

बैंक का नामः– ....

दिनांकः– ....

राशिः– ....

11– फॉर्म की राशि का विवरण (प्रधानाचार्य शास. आयुर्वेद महा. जबलपुर के नाम देवें)

बैंक ड्राफटः– ....

बैंक का नामः– ....

दिनांकः– ....

राशिः– ....

जमा नगद राशि की रसीद कमांक/दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

भाग–02

वित्तीय प्रस्ताव

दुकान किराया

भवन	क्षेत्रफल	न्यूनतम किराया (प्रतिमाह)	निविदाकार द्वारा प्रस्तावित राशि
दुकान कमांक–01 (बैंक एटीएम)	लगभग 84 फीट	बैंक एटीएम के लिये सुरक्षित	
दुकान कमांक–02 (एम.पी.ऑनलाइन एवं स्टेशनरी)	लगभग 83 फीट	3000/–	
दुकान कमांक–05 (अन्य)	लगभग 89 फीट	3000/–	

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
Jabalpur (M.P.)

Principal
Govt. Ayurvedic College & Hospital
JABALPUR (M.P.)

कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
गीताधाम रोड, ग्वारीघाट जबलपुर 482008 (म.प्र.)

Email: pri.ayurvedajbp @gmail.com

Office - 0761-2970733,

आवेदन पत्र

प्रति,

प्रधानाचार्य,
शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय
एवं चिकित्सालय,ग्वारीघाट, जबलपुर, मप्र

विषयः- केण्टीन संचालन हेतु दिनांक ..../..../2022 को समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा अनुसार आवेदन

मैं...पिता का नाम....................................
.................उम्र.................फर्म का नाम एवं पता...
जी.एस.टी. कमांक..आयकर हेतु पेन नंबर...................................है।

इस आवेदन के साथ प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, ग्वारीघाट, जबलपुर, मप्र के पक्ष में बैंकर्स डी.डी.के..............................दिनांक.................. ....बैंक (जारी बैंक का नाम)...राशि.................................. ....प्रस्तुत कर रहा हूं।

इस पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार केण्टीन किराया तथा समस्त सामग्रियों के नाम के सामने रेट दर्ज है तथा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
गीताधाम रोड, ग्वारीघाट जबलपुर 482008 (म.प्र.)

Email: pri.ayurvedajbp@gmail.com,
ayur.clgjabalpur.mp@mp.gov.in

Office - 0761-2970733

क्रमांक / स्थापना / 2023 / जबलपुर, दिनांक

:: केन्टीन / दुकान संचालन हेतु निविदा फार्म::

द्वितीय पक्ष :– निविदाकर्ता का नाम..
पिता का नाम..
पता..
....
मोबाईल नं0...
ई–मेल आई.डी...
प्रस्तावित अनुबंध राशि...

प्रथम पक्ष / अनुज्ञप्तिदाताः– प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर म.प्र.

कैन्टीन / दुकान संचालन का स्थानः– शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर परिसर

नोटः– कार्यालय शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर परिसर स्थित कैन्टीन / दुकान के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 31 मार्च 2024 की अवधि हेतु निम्न निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

निविदा के नियम एवं शर्तेः–

(1) निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा जारी करने की तिथि एवं निविदा खुलवाने की तिथि की प्रक्रिया प्रधानाचार्य कार्यालय द्वारा सुविधा अनुसार की जावेगी।

(2) निविदा के साथ निविदाकर्ता के न्यूनतम 03 वर्ष अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो उसने पूर्व में कैन्टीन संचालन किया हो, उक्त अनुभव आदि को समिति के द्वारा प्राथमिकता दी जा सकेगी।

(3) समिति के द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंधन करने / विवाद वाले या अभिभावकों / अधिकारी / कर्मचारियों / छात्र–छात्राओं आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा तथा उनकी निविदा पर कैन्टीन समिति के द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारक एवं अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिये संपादित किया जाएगा,अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्त होने पर या उसके निविदा को छोड़ने पर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अनुज्ञप्तिदाता को शांतिपूर्ण रूप से कैन्टीन / दुकान का खाली कब्जा उसी हालत में, जिस हालत में उसे अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा प्रदान किया गया था, सामान्य टूट–फूट के अध्याधीन रहते हुये सौंपा जाएगा।

(5) अनुबंध अनुसार कैन्टीन / दुकान संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर प्रधानाचार्य द्वारा कैन्टीन समिति की अनुशंसा पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है उस राशि

का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त जमा करना होगा और प्रतिमाह के किराये में भी 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराया भुगतान करना होगा।

(6) अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि अनुज्ञप्तिधारक पुनः कैन्टीन/दुकान को अनुबंध में प्राप्त करना चाहता है तो वह नीलामी प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जब तक कैन्टीन/दुकान नवीन अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त नहीं होता तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत बढाकर अपने अनुबंध को आगे की अवधि तक के लिये जारी रख सकेगा।

(7) निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये **50,000/– (पचास हजार रूपये) या** (प्रधानाचार्य कार्यालय द्वारा निर्धारित) की जमानत राशि प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(8) सफल कैन्टीन/दुकान निविदाकर्ता की उक्त जमानत राशि अनुज्ञप्तिधारक और प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के नाम से संयुक्त बैंक एफ. डी. अमानत के रूप में रखी जायेगी और अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रधानाचार्य कार्यालय/कैन्टीन समिति की अनुशंसा पर सम्पहृत की जायेगी।

(9) सफल निविदाकर्ता/अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारक को मूल राशि वापस की जावेगी और एफ.डी.आर. पर अर्जित बैंक ब्याज अनुज्ञप्तिधारक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(10) कैन्टीन/दुकान संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये जो भी न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क निर्धारित है एवं जिस निविदाकर्ता के द्वारा अधिकतम अनुज्ञा शुल्क प्रस्तावित किया जावेगा एवं निविदा फार्म के साथ संलग्न सूची में वर्णित विक्रय के लिए प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामाग्रियों की विक्रय कीमत कम होगी, अन्य शर्तो के अधीन उसकी निविदा स्वीकार की जावेगी।

(11) जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी उसके द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने पर जमा करना होगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारक को कैन्टीन/दुकान संचालन हेतु रोक दिया जायेगा अथवा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अनुज्ञप्तिदाता को होगा।

(12) सफल निविदाकर्ता/अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादन कराकर पंजीयन करायेगा।

(13) अनुज्ञप्तिदाता द्वारा कैन्टीन कक्ष/दुकान का पृथक से विद्युत संयोजन करवाकर अनुज्ञप्तिधारक को दिया जावेगा तथा वास्तविक दरों के अनुसार निर्धारित अवधि के विद्युत देयक का भुगतान अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किया जायेगा।

(14) अनुज्ञप्तिदाता अनुबंध अवधि में जल संयोजन करवाकर अनुज्ञप्तिधारक को प्रदान करेगा एवं जल का व्यय अनुज्ञप्तिधारक को ही वहन करना होगा।

(15) कैन्टीन/दुकान के संचालन के लिये अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा ही मशीनों एवं अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जायेंगा तथा इस रख रखाव के हुये व्यय का वहन भी अनुज्ञप्तिधारक का ही होगा।

(16) अनुज्ञप्तिधारक कैन्टीन/दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगर निगम जबलपुर से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

(17) अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा खाद्य सामग्री की दर अनुज्ञप्तिदाता से अनुमोदित कराई जावेगी ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।

(18) निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामग्रियों के अलावा कैन्टीन संचालक/अनुज्ञप्तिधारक कैन्टीन के पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ जिनमें कंपनी या निर्माता की ओर से निर्धारित दर पर या उससे न्यूनतम दर पर ही विक्रय कर सकेगा।

(19) अनुज्ञप्तिधारक अन्य ऐसी खाद्य सामग्री जिसका उल्लेख निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामाग्रीयों की सूची में नहीं है और वह खाद्य सामग्री को विक्रय करना चाहता है तो खाद्य साम्रगी का मूल्य प्रधानाचार्य/कैन्टीन समिति के द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदन किये जाने के उपरांत वह विक्रय कर सकेगा।

(20) विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैन्टीन/दुकान परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी अनुज्ञप्तिधारक का होगा।

(21) प्रधानाचार्य/कैन्टीन समिति के द्वारा अनुज्ञा शर्तो को कभी भी परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्त किया जा सकेंगा जिसका अनुज्ञप्तिधारक को पालन करना अनिवार्य होगा।

(22) कैन्टीन/दुकान के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के द्वारा किया जावेगा जिनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(23) कैन्टीन/दुकान संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैन्टीन/दुकान का संचालन बंद किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारक को उसके द्वारा जमा की गई कोई भी राशि नहीं लौटाई जावेगी और कैन्टीन/दुकान का कब्जा ले लिया जावेगा।

(24) अनुबंध की शर्तो का अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैन्टीन/दुकान अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेंगी। जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नही होगा।

(25) समय–समय पर अनुज्ञप्तिदाता या कैन्टीन समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के द्वारा कैन्टीन/दुकान का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(26) अनुज्ञप्तिधारक ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेंगी।

(27) अनुज्ञप्तिधारक कैन्टीन/दुकान संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारक के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(28) अनुज्ञप्तिधारक या उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेगें और न ही करने देगें और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैन्टीन/दुकान अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

(29) अनुज्ञप्तिधारक कैन्टीन/दुकान का संचालन शासकीय कार्य दिवस में समय–समय पर अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा आवश्यकतानुसार कैन्टीन/दुकान का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

(30) अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैन्टीन/दुकान के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैन्टीन/दुकान संचालन में कोई अस्थाई निर्माण जोकि व्यवसाय संचालन मे आवश्यक है पूर्व में प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के द्वारा

प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेगें जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्ही कारणों से यदि अनुज्ञप्तिदाता अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो अनुज्ञप्तिधारक अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

(31) अनुज्ञप्तिधारक को दुकान से लगे हुए खुले स्थान पर कोई अधिकार नहीं होगा और वह कैन्टीन/दुकान तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा प्रति दिवस 500/– रूपये (पांच सौ रूपये) या प्रधानाचार्य कार्यालय द्वारा निर्धारित की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेंगी।

(32) अनुज्ञप्तिधारक अनावश्यक रूप से कैन्टीन/दुकान बंद नही रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा 1000/– रूपये या प्रधानाचार्य कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेंगी।

(33) कैन्टीन/दुकान संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में अनुज्ञप्तिदाता का कोई दायित्व नही रहेगा।

(34) कैन्टीन/दुकान प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर के द्वारा अनुमोदित समय पर जिला प्रशासन जबलपुर के नियमानुसार चलाई जावेगी तथा महाविद्यालय/चिकित्सालयकी सुरक्षा और अनुशासन का अनुज्ञप्तिधारक को पूर्ण पालन करना होगा।

(35) अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैन्टीन/दुकान परिसर में स्वयं के व्यय पर कलर, पेन्ट एवं मरम्मत आदि का कार्य समय–समय पर कराया जावेगा।

(36) अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा केन्टीन/दुकान परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(37) अनुज्ञप्तिधारक कैन्टीन/दुकान में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

(38) अनुज्ञप्तिधारक कैन्टीन/दुकान के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धूम्रपान/पान/गुटखा/तम्बाकू/बीड़ी/सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(39) निविदा फार्म प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता के द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/आधार कार्ड आदि की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

(40) पेनकार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन,टिन एवं पिन नंबर अनुज्ञप्तिधारक हेतु अनिवार्य है।

(41) पिछले 03 वित्तीय वर्ष का जमा किये गये इनकम टैक्स एवं इनकम टैक्स रिटर्न संबंधी व्यौरा अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

(42) उपरोक्त समस्त शर्तो को शिथिल या परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रधानाचार्य को होगा जो सभी को मान्य होगा।

(नोटः–कैन्टीन/दुकानों के वित्तीय निर्धारण जैसे किराया, जमानत राशि, खाद्य सामग्री का रेट इत्यादिका निर्धारण नियमानुसार कलेक्ट्रेट जबलपुर से रेट लेते हुए कार्यकारणी के अनुमोदन पश्चात् ही निविदा की प्रकिया की जावे।)

न्यूनतम, केन्टीन किराया 6000/- एवं दुकान किराया 3000/- प्रतिमाह है

नोटः— निविदा दिनांक............................को दोपहर...................... बजे निविदाकर्ता/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में कार्यालय प्रधानाचार्य शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय जबलपुर में गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा यदि किसी कारणों से उक्त दिवस पर निविदा नहीं खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

"मुझे निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है।"

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)
निविदाकर्ता का पूरा नाम....................................
पिता का नाम..
फोन नंबर/मोबाइल नंबर....................................
ई–मेल आईडी..

संलग्नः— 01 कैन्टीन संचालन हेतु दर की सूची।

भाग—1

प्रपत्र

निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा (तकनीकी प्रस्ताव)

निविदादाता द्वारा भरा जावेगा।

1— निविदाकार का नाम एवं पताः— ....

....

....

2— निविदाकार/संस्था/सोसायटीः— ....

(संगठन/साझेदारी की संख्या)

3— अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें :— ....

4— विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्नः— ....

5— पैन नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें):— ....

6— जीएसटी नंबर (फोटो प्रति संलग्न करें):— ....

7— आधार कार्डः— ....

8— भारतीय खाद्य निगम का लाइसेंसः— ....

9— धरोहर राशि का विवरण बैंक/पोस्ट (प्रधानाचार्य शास. आयुर्वेद महा. जबलपुर के नाम देवें)

बैंक ड्राफटः— ....

बैंक का नामः— ....

दिनांकः— ....

राशिः— ....

10— फॉर्म की राशि का विवरण बैंक/पोस्ट (प्रधानाचार्य शास. आयुर्वेद महा. जबलपुर के नाम देवें)

बैंक ड्राफटः— ....

बैंक का नामः— ....

दिनांकः— ....

राशिः— ....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

भाग—02

वित्तीय प्रस्ताव

केण्टीन किराया एवं विक्रय सामग्री का विवरण

भवन	न्यूनतम किराया (प्रति माह)	निविदाकार द्वारा प्रस्तावित राशि
केण्टीन	10,000 रु.	

स.क.	भोज्य सामग्री	नाम सहित विवरण	मात्रा सहित विवरण	निर्धारित दर	प्रदाय दर
1	भोजन थाली	दाल,चांवल, सब्जी, 4 रोटी	सामान्य मात्रा	40	
2	नाश्ता	पोहा	100 ग्राम	10	
		जलेबी	100 ग्राम	15	
		समोसा	70 ग्राम	07	
		कचौरी	70 ग्राम	07	
		खमण	100 ग्राम	20	
		भजिया / मंगोडे	100 ग्राम	15	
		ब्रेड पकोड़ा	100 ग्राम	10	
3	पेय	चाय	150 एमएल	07	
		कॉफी	150 एमएल	10	

नोटः—

1— उपरोक्त दर में जी.एस.टी. दर सम्मिलित होगा।

2— भोजन एवं नाश्ते की गुणवत्ता उत्तम होगी। स्वच्छता एवं सुचिता का विशेष ध्यान रखा जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील